

[Seal

इलिनोइस

राज्य

कार्यकारी विभाग

स्प्रिंगफील्ड, इलिनोइस]

[Stamp

दर्ज किया गया

सूचकांक विभाग

अप्रैल 17, 2020

राज्य सचिव

के दफ्तर में]

संशोधित

अप्रैल 17, 2020

कार्यकारी आदेश 2020-27

**कोविड-19 की प्रतिक्रिया में कार्यकारी आदेश**

**(कोविड-19 कार्यकारी आदेश क्र. 25)**

चूँकि, कोरोनावायरस 2019 (कोविड-19) एक नई गंभीर और घातक श्वास-प्रश्वास संबंधित बीमारी है जो श्वसन संक्रमण के माध्यम से लोगों में फैल सकती है और इसमें इन्फ्लूएंजा से मिलते-जुलते लक्षण शामिल हैं; और,

चूँकि, कुछ ही समय में, कोविड-19 शीघ्रता से पूरे इलिनोइस में फैल गई है, जिस की वजह से संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से उद्दिनांकित और दृढ़ मार्गदर्शन की आवश्यकता है; और,

चूँकि, मैंने, जेबी प्रिटज़कर, इलिनोइस के राज्यपाल, 9 मार्च, 2020 को (प्रथम गवर्नर आपदा उद्घोषणा) कोविड-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनोइस राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

**चूँकि**, मैंने अप्रैल 1, 2020 को कोविड 19 के घातांक प्रसार की प्रतिक्रिया में दोबारा (प्रथम गवर्नर आपदा उद्घोषणा, गवर्नर आपदा उद्घोषणाओं के साथ द्वितीय आपदा उद्घोषणा को मिलाकर) इलिनोइस राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**चूँकि**, अगर इलिनोइस में कोविड-19 से होने वाली मृत्युओं में वृद्धि पाई जाए, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी काउंटियों के मृत्यु समीक्षक और चिकित्सा परीक्षक वायरस के प्रसार को कम करने में सक्षम हैं;

**इसलिए**, इलिनोइस राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझमें निहित शक्तियों द्वारा और इलिनोइस इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट, 20 ILCS 3305 के अनुच्छेदों 7(1) (*Sections 7(1), of the Illinois Emergency Management Agency Act 20 ILCS 3305*) के अनुसरण में, मैं निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

अनुच्छेद 1. गवर्नर आपदा उद्घोषणाओं की अवधि के दौरान, इलिनोइस काउंटीज़ कोड कोरोनर डिवीजन, 55 ILCS 5/5 के अनुच्छेद 3/3-3013 (*Section 3/3-3013 of the Illinois Counties Code Coroner Division, 55 ILCS 5/3-3013*) की कुछ परिस्थितियों में दवाओं और शराब की उपस्थिति के परीक्षण के लिए रक्त और मूत्र विश्लेषण की आवश्यकता को केवल उपपरिच्छेद (ई) (*subsection (e)*), जिसके अनुसार एक मृत्यु जिसमें मृतक का उपचार एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक द्वारा नहीं किया गया हो, यदि मृतक (1) का कोविड-19 के परीक्षण का परिणाम सकारात्मक हो, या (2) में कोविड-19 के आदर्श लक्षण मौजूद हैं, और जिसके कोविड-19 के परीक्षण के परिणाम लंबित हैं, के लिए निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 55 ILCS 5/3-3013 (*Section 55 ILCS 5/3-3013*) की अन्य सभी शर्तें प्रभावी रहेंगी।

अनुच्छेद 2. गवर्नर आपदा उद्घोषणाओं की अवधि के दौरान, डिसपोज़ीशन आफ रिमेंनज़ आफ द इंडीजेंट एक्ट, 755 ILCS 66/20 (ए) के अनुच्छेद 20 (ए) (*Section 20(a) of the Disposition of Remains of the Indigent Act, 755 ILCS 66/20(a)*), जिसके अनुसार राजकीय संस्थान से प्राप्ति के बाद एक योग्य चिकित्सा संस्थान के लिए निर्धनों के शवों 30 दिनों के लिए रखना अनिवार्य होता है, को कोविड-19 के सकारात्मक परिणाम वाले शवों के लिए, इस शर्त पर कि संस्थान कम से कम 15 दिनों के लिए निर्धनों के शवों अपने पास रखेगा, निलंबित किया जाता है।

अनुच्छेद 3. गवर्नर आपदा उद्घोषणाओं की अवधि के दौरान, डिसपोज़ीशन आफ रिमेंनज़ आफ द इंडीजेंट एक्ट 755 ILCS 66/15 (सी)-(एफ) के अनुच्छेद 15 (सी)-(एफ) (*Section 15(c)-(f)*)

*of the Disposition of Remains of the Indigent Act, 755 ILCS 66/15(c)-(f)*, जिसके अनुसार किसी भी राजकीय संस्थान, जिसके संरक्षण में एक लावारिस शव हो, के निर्देशक के लिए चिकित्सा विज्ञान की उन्नति में उपयोग के लिए एक योग्य चिकित्सा विज्ञान संस्थान को शव दान करना अनिवार्य है, को कोविड-19 के सकारात्मक परिणाम वाले शवों के लिए निलंबित किया जाता है। निर्देशक अवशेषों के निपटान के लिए परिवार के किसी सदस्य या व्यक्ति से संपर्क करने के लिए उचित प्रयास जारी रखेंगे और उनके लिए 72 घंटे की वैधानिक प्रतीक्षा अवधि को बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अनुच्छेद 4. यदि किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए इस कार्यकारी आदेश या उसके आवेदन के किसी भी प्रावधान को सक्षम न्याय अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय द्वारा अमान्य ठहराया जाता है, तो यह अमान्यता इस कार्यकारी आदेश के किसी अन्य प्रावधान या आवेदन, जिसे अमान्य प्रावधान या आवेदन के बगैर लागू किया जा सकता हो, को प्रभावित नहीं करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया जाता है।

[Stamp]

जेबी प्रिटज़कर

अप्रैल 17, 2020 को राज्यपाल द्वारा जारी किया गया

अप्रैल 17, 2020 के राज्य सचिव द्वारा दर्ज किया गया

[Stamp]

दर्ज किया गया

सूचकांक विभाग

अप्रैल 17, 2020

राज्य सचिव

के दफ्तर में]